-22 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 27-12-22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

22/12/22 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा०प० किये गये। विपक्षीगण को तीन बार कूक-कूक कर आवाजे दिला जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal
Jingar
Date: 2023.02.14 13:46:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ

अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या– 242/22 प्रा0पत्र

लक्ष्मण s/o श्री बालु भील निवासी सुरास तहसील-मांडल

–प्रार्थी

बनाम

भावु सिंह s/o श्री बाबूसिंह पुरावत निवासी-सुरास तहसील-मांडल [विपक्षी]
(प्रकाशितप्रा0पत्रासंलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक – 27.12.22

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन के ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल में उसके युक्त खाते की आराजी नं. प्रार्थना पत्र के अनुसार कुल किता 08 रकबा 1.5177 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये ा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावें।

ार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.12.22 को पंजीयद्ध किया जाकर प्रकरण को ार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते ेक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

ा प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरास पटवार सुरास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 841, 842, 843, 844, 862, 865, 866, 867 किता 08 रकबा 1.5177 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी ाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख गिरदावर को 700/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने फरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:46:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

पि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा [illegible] जमा कराने पर नियमानुसार ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा